न्यायालय राजस्व मण्डल महोदय मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक– /2016 पुनरीक्षण

अख्तर पुत्र वशीर उम्र–50 वर्ष जाति मुसलमान निवासी–बालापुरा तह. व जिला शोपुर म0प्र0

———निगरानीकर्ता

बनाम

1– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर श्योपुर

——गैर निगरानीकर्ता

2– राजेश खण्डेलवाल (तरतीवी)

3– आनन्द खण्डेलवाल (तरतीवी)

4– संजय खण्डेलवाल पुत्रगण स्व. श्री रामनारायण खण्डेलवाल निवासीगण– श्योपुर म0प्र0 (तरतीवी)

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता बइजलास श्री वीरेन्द्र सिंह अपर कलेक्टर श्योपुर के न्यायालय के प्रकरण कमांक 33/15–16/बी–121 म0प्र0 शासन बनाम अख्तर खां आदि में पारित आदेश दिनांक 15/09/2016 के विरूद्ध</u>

श्रीमान् जी,

निगरानी कर्तागण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3177/एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22.9.16.	यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 33/2015–16/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा पत्र क्र./रीडर/2016/1576 श्योपुर दिनांक 05.08.2016 के प्रतिवेदित किया है। कि कब्जा श्योपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 471/2 रकवा 1.118 हैक्टेयर, खसरा पंचशाला सम्वत 2051–55 शासकीय भूमि दर्ज है। सम्वत 2060 में उक्त भूमि को तहसीलदार श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 57/2000–01/अ–19 में आदेश दिनांक 11.12.2001 से अख्तर पुत्र वशीर मुसलमान, निवासी श्योपुर के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दी गयी। उक्त प्रकरण क्रमांक पंजी में दर्ज नहीं है और ना ही यह प्रकरण रिकॉर्ड रूम में जमा है। अख्तर पुत्र वशीर द्वारा उक्त भूमि आनंद खण्डेलवाल को दिनांक 13.10.2015 को विक्रय कर दी गयी है। अख्तर पुत्र वशीर को उक्त भूमि का कोई पट्टा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया है, भूमि अवैध रूप से विक्रय की गयी है। अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के उक्त प्रतिवेदन के	

आधार पर वादग्रस्त भूमि अख्तर पुत्र वशीर, निवासी श्योपुर द्वारा फर्जी प्रविष्टी के आधार पर नाम दर्ज कराने तथा जे0बी0 कंस्ट्रशन राजेश खण्डेलवाल, संजय खण्डेलवाल, आनंद खण्डेलवाल को अनाधिकृत रूप से विक्रय करने के आपराधिक कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 32 के अन्तर्गत दर्ज करते हुए कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा नोटिस जारी किये गये। आवेदक द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाव प्रस्तुत किया एवं बताया कि भूमि उन्हें विधिवत रूप से भूमि का आबंटन किया गया था, जिस पर समय के रहते हुए भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र से विक्रय किया है, ऐसी स्थिति में विक्रयपत्र विधिवत है और पंजीकृत विक्रयपत्र को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है। अपर कलेक्टर, श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.2016 से वादगस्त भूमि 471/2 क्षेत्रफल 1.045 हैक्टेयर भूमि शासकीय होने से तथा विक्रेता अख्तर पुत्र वशीर को भूमि विक्रय करने का स्वत्व नहीं होने से किया गया अन्तरण अवैध एवं प्रारंभ से शून्य है और ऐसे अवैध अन्तरण के आधार पर नामान्तरण नहीं किया जा सकता, अतः कब्जा श्योपुर स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 471/2 का समस्त रकवा पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में शासकीय दर्ज करने का आदेश दिया जाकर संबंधित तहसीलदार श्योपुर को निर्देशित किया गया कि वे संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करावे तथा विक्रयपत्र दिनांक 13.10.2015 को

शून्य घोषित करने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर करें। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का विधिवत अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपर कलेक्टर, श्योपुर को म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 में किये गये नवीन संशोधन दिनांक 30.12.2011 से निगरानी सुनवाई का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अधिकारितारहित है। अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि प्रकरण क्रमांक 57/2000–01/अ–19 दायरा पंजी में नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि दायरा पंजी क्रमांक 57 पर उपरोक्त प्रकरण विधिवत रूप से दर्ज है। दायरा पंजी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित नहीं है, अतः निरस्त किये जाने योग्य है। जहॉ तक विक्रय पत्र किये जाने का प्रश्न है तो भूमिस्वामी को भूमि विक्रय करने का अधिकार है क्योंकि वह उपरोक्त भूमि के भूमिस्वामी है और उन्हें विधि के प्रभाव से स्वत्व प्राप्त हो गये है। ऐसी स्थिति में किया गया विक्रयपत्र विधिवत एवं सही होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। इस तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अनावेदक शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा

अपने तर्को में बताया कि अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जाकर आदेश पारित किया है, जो अपने स्थान पर विधिवत एवं सही होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर का आदेश स्थिर रखते हुए वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5– उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्को के परिपेक्ष्य में उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा अभिलेख का विधिवत अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया है। तहसीलदार श्योपुर के दायरा रजिस्टर में प्रकरण क्रमांक 57 पर आवेदक का नाम विधिवत रूप से दर्ज है। इस संबंध में दायरा रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रकरण पंजी में दर्ज है। जिसके पश्चात् समय के रहते हुए उपरोक्त भूमि पर आवेदक को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये है, जिसके आधार पर उसके द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र से भूमि का विक्रय किया है और उपरोक्त विक्रयपत्र आज वर्तमान स्थिति में कायम है, ऐसी स्थिति में विक्रयपत्र को तथाकथित एवं फर्जी नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में विक्रयपत्र पर किया गया नामान्तरण अपने स्थान पर विधिवत एवं सही है क्योंकि नामान्तरण आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कोई अपील अथवा पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में नामान्तरण आदेश को अपास्त करना विधिवत नहीं है। जहॉ तक आवेदक के

विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने का प्रश्न है तो अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण आवेदक के विरूद्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना किसी कारण के आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। अतः अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा पारित आदेश विधिवत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 33/2015–16/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के निर्देश तहसीलदार श्योपुर को दिये जाते हैं।

सदस्य